ment showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1970-71.

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

NINTH AND TENTH REPORTS

SHRI BASUMATARI (Kokrajhar) : Sir, I beg to present the following Reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes :—

(1) Ninth Report (Hindi and English versions) on the Ministry of Tourism and Civil Aviation— Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Air India.

(2) Tenth Report (Hindi and English versions) on the Ministry of Tourism and Civil Aviation—Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Indian Airlines.

12.52 hrs.

PERSONAL EXPLANATION

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Sir, in the debate on 26-11-1970 regarding double voting on the Privy Purses Bill, Shri Nath Pai stated as follows :—

"Every party is represented very adequately. A very able Member called Mr. Lobo Prabhu who takes his duty very seriously, contributed to the best of his ability to the deliberations of the Committee. I am sorry he is not here."

I would like to state that I could not get the intimation to attend the meeting of the Rules Committee on the 8th September, as I was out of station, and in fact, could not have done so as I was in transit to my home in Mangalore. The proceedings of the meeting also show that I was not present. Though these proceedings were sent to me, they were not formally put up for confirmation at the meeting held on 18th November, 1970.

MR. SPEAKER : We had another meeting earlier also.

SHRI LOBO PRABHU : I was not there for that meeting. At that meeting, the Chairman only referred to the action he had taken against Shri Ram Shekhar Prasad. Though it is not recorded in the proceedings, I remember, I pressed that the warning given to the Member could be placed on the Table of the House.

I would like it to be clarified from the above that the Swatantra Party was not represented at the meeting when other decisions about the double voting was taken. Although it is good for Shri Nath Pai to appreciate my work, I would like to remove the impression that I participated in the decisions of 8th September.

SHRI SURENDRA NATH DWIVEDY : (Kendrapara) : You will use it in the election time.

SHRI LOBO PRABHU : I should certainly do so.

SHRI NATH PAI (Rajapur) : Sir, I would like to just clarify the point. Normally objections are taken, I think, if disparaging remarks are made about a Member, but this is perhaps a unique example where a member is taking objection for complimentary reference made to him. He richly deserves them.

But may I say that if the statement is very carefully understood, and its syntax and grammer are taken into consideration, I have never suggested that Shri Lobo Prabhu attended the meeting in question. I said the Swatantra Party is represented by a very able Member, and he attends the meetings and contributes to the deliberations. I entirely agree that the meeting in question was not attended by Shri Lobo Prabhu. The Swatantra Party is represented on the committee. There is difference between your being represented and your participating in the proceedings. You are represented but you were not present on that day.

SHRI RANGA : (Srikakulam) : I am glad my hon. friend has clarified the position.

MR. SPEAKER : Shri Madhu Limaye.

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि लंच के लिये अब सिर्फ पांच मिनट रह गये हैं। मधु लिमये जी जिस विषय को उठाने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये उसको अगर लंच के बाद ही लिया जाये तो बहुत अच्छा होगा।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अब तो सिर्फ दो या तीन मिनट ही रह गये हैं।

MR. SPEAKER : I have certain appointments in the afternoon. There are two meetings already fixed. I hope you will not mind if I am not able to come for some time because of those meetings. Then we have leaders' meeting also in the evening at 3 O'clock. I have a meeting with a Speaker from a State.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने एक संशोधन दिया है जो शायद देर से आता है। मैं चाहूंगा कि आप इजाजत दे दें ताकि उसको लेकर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : वह देर से नहीं आया है, ठीक वक्त पर आया है।

श्री नाथ पाई : यह तरमीम जो रखी गई है वह संयुक्त है, उस पर गौर किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : गौर जरूर करें लेकिन स्पीकर को आपने रखा हैं, स्पीकर राय देता है, उसको फोर्स करके उसी फैसले पर लाते हैं जिसको स्पीकर कह रहा है तो थोड़ा सा सोच लेना चाहिये।

12.58 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till Fourteen of the clock

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock

[SHRI SHRI CHAND GOYAL *in the Chair.*]

श्री बलराज मधोक (दक्षिणी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैंने आपके पास लिखकर भेजा है कि दिल्ली का ला एण्ड आर्डर केन्द्र के पास है। इसलिये उसकी यही अदालत है जहां यह मामले उठाये जा सकते हैं। अभी पिछले दिनों राजेन्द्रनगर में एक मीटिंग हुई थी। उसमें दिल्ली के वयोवृद्ध नेता प्रो० राम सिंह ने, जो हिन्दू महा सभा के प्रधान भी रहे हैं, भाषण दिया था और अध्यक्षता श्री राम रतन पोपली ने, जो बहुत बड़े फिजीशियन हैं, की थी। मुझे पता लगा है कि कुछ दिन पहले श्री राम रतन पोपली को अरेस्ट कर लिया गया था और आज प्रो० राम सिंह को अरेस्ट कर लिया गया कि तुमने वहां स्पीच क्यों की। उसके बाद एक मीटिंग होनी थी राजेन्द्रनगर में, लेकिन वहां 144 लगा दी गई है।

मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें सरकार क्यों करना चाहती है। वह कम्यूनेल टेंशन को बढ़ाना चाहती है या उसको कम करना चाहती है। इस प्रकार की बातें करके, सिविल लिबर्टीज को कर्व करके, वह यहां पर कम्यूनल टेंशन को बढ़ाना चाहती है। इसको लेकर अगर दिल्ली में हालत खराब हुई तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर होगी। फिर केवल प्रो० राम सिंह को अरेस्ट करके काम नहीं चलेगा। मुझे भी अरेस्ट करना होगा और दिल्ली के दस और एम.पीज. को भी अरेस्ट करना होगा।

मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो हालात पैदा किये जा रहे हैं, सिविल लिबर्टीज के साथ धांधली मचाई जा रही है, धींगा-मुश्ती की जा रही है, यह किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हालात को सम्भालना है तो 144 हटाई जाये, प्रो० राम सिंह और राम रतन पोपली को, जिनको अरेस्ट किया गया है, छोड़ा जाये। साथ ही होम मिनिस्टर यहां

बयान दें कि इस तरह की बातें क्यों कि जा रही हैं। क्या टेंशन है राजेन्द्र नगर में ? वहां शांति है। कालेज के मामले को लेकर, जो प्योरली ऐडमिनिस्ट्रेशन का मामला है इसको कम्यूनल रंगत दी गई। कम्यूनल रंगत देने के बाद इस प्रकार के हालात पैदा किये जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के तरीके दिल्ली की फिजा को बिगाड़ने के लिये, यहां पर टेंशन पैदा करने के लिये, यहां की हालात को बिगाड़ने के लिये, अख्तयार किये जा रहे हैं।

इसलिये सरकार इस मामले में बयान दे और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको छोड़े, यह मेरी मांग है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, इस टाइम पर दिल्ली की सिचुएशन बड़ी खराब है यह नगर देश की राजधानी है और यहां पर जिस प्रकार का आदर्श हम पेश करेंगे वैसा देश में होगा। यह सौभाग्य है कि यहां पर कोई कम्यूनल या दूसरे प्रकार की भावनायें जाग्रत नहीं हुई हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस फिजा को बिगाड़ने के लिये सरकार क्यों उतावली हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसको रोका जाये और गवर्नमेंट को इस पर बयान देना चाहिये।

MR. CHAIRMAN: You are repeating what Shri Madhok has said. The Minister of Parliamentary Affairs, Shri Raghu Ramaiah, has taken note of the submissions that have been made by the two Members. He will convey it to the Government.... (*Interruption*)

14.08 hrs.

MOTION RE: TWELFTH REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस बहस के बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मेरे दोनों प्रस्ताव पर साथ साथ बहस होगी या पहले प्रस्ताव पर पहले और दूसरे प्रस्ताव पर बाद में होगी ?

सभापति महोदय : पहले तो आप कंसिडरेशन के लिए बोलिए।

श्री मधु लिमये : चर्चा तो साथ साथ होगी न ?

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 24 नवम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था विचार करती है।"

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House do consider the Twelfth Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 24th November, 1970."

श्री मधु लिमये : इसका जो विषय है यह बहुत पुराना है और 1966 में जब पी० ए० सी० ने अपनी 50वीं रिपोर्ट पालियामेंट के सामने पेश की उसी समय से इस पर किसी न किसी रूप में सदन में विवाद हो रहा है। आपको याद होगा कि जब भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में नये इस्पात कारखाने बनाए जा रहे थे तो उस समय इस्पात की कमी उत्पन्न हुई और सरकार ने फैसला किया था कि विदेशों से इस्पात मंगाया जायगा। उसके लिये लोगों को अनुमति दी गई लेकिन उसकी कई शर्तें थीं। इनमें से एक शर्त यह थी कि जो फर्म या जो कम्पनी बाहर से इस्पात मंगाएगी वह इस बात का आश्वासन देगी कि हिन्दुस्तान में बना हुआ माल, इस्पात का माल वह विदेशों को निर्यात करेगी। साथ साथ इसके बारे में बैंक गांरटी देने के बारे में भी निर्णय हुआ था।